

अदालत
दस्तावेज
में जारी है

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बायतु, जिला बाड़मेर

दिनांक : 10-01-2023

क्रमांक : वाद/2022/ 63

प्रार्थी

बनाम

विप्रार्थीगण

1. हेमराज पुत्र लुम्भाराम
जाति जाट, निवासी लेगों की ढाणी
सोहड़ा, तहसील गिड़ा (बाड़मेर)

1. जसाराम पुत्र मुलाराम वगैरा 18
जाति जाट, निवासी लेगों की ढाणी
सोहड़ा, तहसील गिड़ा (बाड़मेर)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व आवेदन संख्या : 266/2022

आदेश

प्रार्थीगण के खातेदारी खेत मौजा - लेगों की ढाणी, पटवार मण्डल - सोहड़ा, तहसील - गिड़ा, जिला- बाड़मेर के खेत खसरा नं. 177/16 रकबा 5.2690 हेक्टर भूमि का साधारण सीमाज्ञान करने में राजस्व पटवारी विफल रहें एवं सीमा को लेकर मौके पर तनाजा है। खातेदार को यह अधिकारी है कि वह अपने खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान/नेखमबंदी करा सकता है। लिहाजा प्रार्थी का आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार गिड़ा को कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि कमीशनर स्वयं या सहायक कमीशनर से प्रार्थी के खातेदारी खेतों की पक्की नेखमबंदी मौके पर निर्धारित कमीशनर शुल्क 500/- जमा कराकर करें तथा पालना रिपोर्ट पेश करें। अपेक्षित होने पर संबधित थानाधिकारी से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है।



10/11/2023
(मनोजय) उपखण्ड अधिकारी बायतु
उपखण्ड अधिकारी बायतु
दिनांक : 10-01-2023

क्रमांक : वाद/2022/ 64-66

प्रतिलिपि:-निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

1. तहसीलदार गिड़ा
2. पटवारी हल्का सोहड़ा, को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रेकॉर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी श्री हेमराज पुत्र लुम्भाराम
4. विप्रार्थी श्री जसाराम पुत्र मुलाराम वगैरा 18
5. पुलिस थानाधिकारी गिड़ा।

10/11/2023
उपखण्ड अधिकारी बायतु
जिला बाड़मेर